रमुल कुजरा
बनाम
इस्लाम कुजरा व अन्य
c.c. issued
c.No-195/31/1/13
a.c. issued
c.No-196/8/2/13

भू० वि० वाद सं० 59/12-13

आदेश

12.01.13 उक्त वाद रमुल कुजरा पे० स्व० अमीर कुजरा सा० विश्वनाथपुर थाना घनश्यामपुर जिला
दरभंगा द्वारा इस्लाम कुजरा व अकबर कुजरा पे० स्व० लियाकत कुजरा वो मुस्लीम
कुजरा पे० मुजराती कुजरा (विपक्षी प्रथम पक्ष); इसराइल कुजरा पे० आलम कुजरा
उर्फ रमुल (विपक्षी दोयम पक्ष) दाऊद कुजरा व हैदर कुजरा व सदरे कुजरा
पेसरान स्व० जवाहर कुजरा (विपक्षी तृतीय पक्ष) सभी साकिनान विश्वनाथपुर
पो० फरदाहा थाना बहेड़ा जिला दरभंगा के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के
तहत विधि प्रक्रियानुरूप दाखिल परिवाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि मौजा विश्वनाथपुर
महाल नया नगर इस्लामपुर परगना भिंगी अंचल बेनीपुर जिला दरभंगा खाता सं०
475 खेसरा सं० 1620 पुराना रकबा 5 कठा 10 धुर खानगी खतियान में गैर मजरुआ
खास के रूप में दर्ज है जिसके भूतपूर्व मालिक बाबु अच्युतानन्द चौ० से जिसका
विवरण वादपत्र के मद सं० 1 में अंकित है। उपरोक्त मौजा में खाता न० 292 खेसरा
न० 1621 पुराना में रकबा 4 क० अर्थात 18 धुर फिदवी आवेदक को पारिवारिक बंटवारा
अपने चा० अर्जुनगर कुजरा को 2 क० + 2 क० प्राप्त हुआ है। अर्जुनगर कुजरा
लावलाद स्वर्गीय हो गए तो उनको मिले पारिवारिक पर्चा की भूमि पर फिदवी आवेदक
का दखल कब्जा रहता आया जो वाद पत्र के मद सं० 2 में उल्लेखित है।
उपरोक्त दोनों मद मिलाकर नया मद सं०-3 है जिसका हाल सर्वे में नया खाता
124 खेसरा 3661 नया बना है जिसका खाता भी फिदवी आवेदक के नाम
खुला है। यह भी उल्लेखित है कि फिदवी आवेदक के मद सं०-3 की भूमि में
से रकबा 0-1-10 (एक कठा दस धुर) अपने भतीजे जवाहर कुजरा के द्वारा
फरोख्त कर दिया जिसका केवाला कार्यालय अलग तरह है तथा यह विक्रय
की भूमि मद सं०-4 के रूप में दर्ज है। मद सं० 4 की भूमि के विक्रय के
पश्चात शेष रकबा 0-4-18 फिदवी आवेदक की भूमि है जो वाद पत्र के
मद सं०-5 के रूप में उल्लेखित है। यह भी उल्लेख किया गया कि
विपक्षी प्रथम पक्ष ने फिदवी आवेदक की भूमि पर जबरन पता का ढेर
लगा दिया है तथा विपक्षी दोयम (छोटी) जबरदस्ती फिदवी आवेदक की

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर

भूमि पुरब उत्तर से रकबा 10 फुट पर दालान बना लिया है। यह भी उल्लेखित है कि वादी बे औलाद व वृद्ध है जिनका नाजायज फायदा उठाकर तथा जाल फरेब कागजात तैयार कर नाजायज दावा पेश करके लोग हैं तथा विपक्षी आवेदक को भूमि पर से हटा एवं दालान उठाना नहीं चाहते हैं। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वादी ने अनुरोध किया है कि मद सं०-5 की भूमि जो विपक्षी आवेदक को भूतपूर्व मालिक से वो वसीयत पर्चा से हासिल है जिस पर आवेदक का स्वत्व वो दखल कब्जा घोषित की करने का, विपक्षी प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष से आवेदक की भूमि पर दखल कब्जा वापस दिलाने तथा [illegible] विपक्षी के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी गण OP2, OP-3, OP-4 (विपक्षी प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष) के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 20.9.12 एवं संशोधन आवेदन दिनांक 29.11.12 द्वारा उल्लेखित है कि वादी को यह वाद दायर करने का कोई आधार नहीं है तथा बिहार अधिनियम IV 2010 की परिधि से बाहर है। प्रत्युत्तर कंडिका 7 में उल्लेखित है कि इस वाद का समाधान सुलहनामा डिग्री अदालत लोक अदालत दिनांक 28.02.2002 द्वारा हो चुका है। उल्लेखित है कि OP5 ता 7 के पिता जवाहर कुमार उर्फ जवाहर मियां ने लियाकत अली फरीद (OP1 व OP-2 के पिता) के विरुद्ध टाइटल वाद सं० 3/1985 मुंसिफ द्वितीय दरभंगा के न्यायालय में दायर किया जिसे मुंसिफ द्वितीय दरभंगा द्वारा दिनांक 30.6.1987 को खारिज कर दिया गया। तदुपरान्त जवाहर मियां ने Title Appeal सं० 27/1987 जिला न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया जिसमें पक्षकारों द्वारा दाखिल सुलहनामा आवेदन दिनांक 28.2.2000 को दाखिल हुआ। यह सुलहनामा स्थायी लोक अदालत, दरभंगा द्वारा P.L.A - 22/2002 / T.A. No → 27/1987 दिनांक 1.4.2002 को निष्पादित हुआ। उक्त लोक अदालत निष्पादित Award के अनुसार मौजा विशुनपुर का खाता 475 (पु०) 149 (नया) खेसरा 1620 (पु०) 2661 (नया) रकबा 0-3-2½ (तीन धुर ढाई धुर) उ० मदन चौपाल द० सांच पु० पचकौरी चौपाल प० जवाहर मियां (वादी) [illegible] लियाकत अली फरीद व अन्य के हिस्से मिला तथा शेष रकबा जवाहर मियां के हिस्से मिला जिसकी चौहद्दी उ० रघुनी खतवे द० बांध पु० मुस्लिम, लियाकत अली फरीद पश्चिम बांध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि

संबंधित कोई वाद इस न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐनुल कुमारा द्वारा मो० जमालुद्दीन (OP-4) को रजिस्टर्ड बकील निबंधित केवाला द्वारा फरोख्त की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि ऐनुल कुमारा पे० मो० अजीज द्वारा मो० जवाहर कुमारा के नाम कथित निबंधित केवाला दिनांक 13.8.84 को मुंसिफ द्वितीय बेनीपुर द्वारा T.S. No 3/1985 में disbelieve कर दिया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में कोई तथ्य नहीं है तथा खारिज योग्य है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन में वादपत्र का पुरजोर समर्थन किया तथा वाद के समर्थन में CS खतियान CSP 1620 रकबा CS खाता 475 नाम आसामी मोसम्मात बीबी तथा मौजा भिखनपुर थाना नं० 14 RSP 2661 रकबा RS खाता 124 बनाम ऐनुल पिता अजीज जाति कुमार से संबंधित Revisional Survey खतियान की छाया प्रति दाखिल किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी मत व्यक्त किया कि OP के Rejoinder कंडिका 10 में उल्लेखित T.S. No 27/1987 [illegible] जवाहर मियाँ द्वारा लियाकत कुमारा के विरुद्ध दाखिल किया जो खारिज हुआ जिसके विरुद्ध लियाकत अली ने अपील दायर किया तथा आपस में Collusive Compromise (कुमारा) में अपीलवाद दायर किया तथा आपस में Collusive Compromise कर लिया। CS खतियान के अनुसार तकरारी भूमि का खतियानी रकबा 0-5-10 है जबकि स्थायी लोक अदालत के सुलहनामा कंडिका में 0-3-2½ डिसमिल की अर्थात् सुलहनामा करवा कर लिया गया है जो अप्रासंगिक एवं अनुचित 0-6-10 का सुलहनामा करवा कर लिया गया है जो अप्रासंगिक एवं अनुचित है। यह भी उल्लेख किया कि CSP 1620 का 24 डि० एवं CSP 1621 का 4 डि० को RSP 2661 28 डि० का मैनेजमेंट बनाई इसी में से 0-1-10 रजिस्टर्ड केवाला जवाहर कुमारा के नाम फरोख्त किया। इसी जवाहर कुमारा द्वारा बकील जवाहर कुमारा के नाम फरोख्त किया। वादी Petitioner को भी पक्षकार बनाया एवं O.P के बीच Title Suit चलाया जिसमें Petitioner को भी पक्षकार बनाया गया। यह Suit dismissed हो गया। तदुपरान्त जवाहर कुमारा ने T.S 3/1985 के विरुद्ध T.A. No 27/87 दाखिल किया जिसमें जवाहर कुमारा एवं विपक्षी ने Collusive Compromise कर लिया तथा 14-14 डि० आपस में बाँट लिया। इसी T.A 27/87 के Compromise Page 3 के पृष्ठ 3 पर स्पष्ट रूप से Compromise करारदाद का विवरण अंकित है कि जिसमें कुल अर्थात् वादी को Compromise के पक्षकार नहीं है तथा लोक अदालत के पक्षकार नहीं है तथा वादी को वंचित कर दिया। इस प्रकार वादी लोक अदालत के पक्षकार नहीं हैं तथा Lok Adalat से वादी को वंचित कर दिया गया था। इसलिए लोक अदालत का सुलहनामा किताब वादी पर बाध्यकारी नहीं है। खाता 3 वादी के नाम से है जिसका 1-10 फरोख्त

भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपुर

की गई भूमि को खाता सं० 0-6-18 पर वादी का अधिकार व दावा अस्वीकार करते हुए किसी को उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेध करने तथा अतिक्रमित भूमि को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी प्रथम व द्वितीय पक्ष (OP 2,3,4) के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र का पुरजोर विरोध किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में list of documents द्वारा मुंसिफ द्वितीय दरभंगा T.S. No 3/85 स्वाधार सिंह बनाम सियाराम आदि फैसला एवं T.A. No 27/87 में स्थायी लोक अदालत दरभंगा द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति दाखिल किया है। आवेदन में उल्लेख किया गया कि तकरारी भूमि से सम्बन्धित स्वत्व वाद सं० 3/85 में मुंसिफ द्वितीय बेनीपुर द्वारा वादी द्वारा वादपत्र की कंडिका 7 में उल्लेखित परनामनी भूमि का केवाला दिनांक 13.8.84 को Not valid, genuine and for consideration घोषित किया है। यह केवाला वादी ऐनुल कुबरा द्वारा स्वाधार सिंह को किया गया था। उक्त T.S. 03/85 के खारिज होने के बाद उक्त Title Suit के Plaintiff स्वाधार सिंह ने सियाराम के विरुद्ध अपील वाद T.A. 27/87 दाखिल किया जिसमें स्थायी लोक अदालत द्वारा Compromise Decree हुआ। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया कि Suit land से सम्बन्धित वाद का निष्पादन स्थायी लोक अदालत द्वारा PLA $\frac{22/2002}{T.A.-27/87}$ दिनांक 1.6.2002 को निष्पादित कर दिया गया है जिसकी समीक्षा इस न्यायालय द्वारा किया जाना अनुचित है तथा B.L.A.R Act की धारा 4(2) के तहत लोक अदालत का निर्णय Finally Concluded and adjudicated proceeding माना जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का आवेदन सुना तथा उभयपक्षों द्वारा list of documents द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि CSP 1620 अन्दर CS खाता 475 रकबा 24 डी० खतियान में सैयद अकबर का नाम दर्ज है। RSP 2661 अन्दर RS खाता 124 रकबा 28 डी० अकानमय रकबा ऐनुल पिता कमीर (वादी के नाम) Revisional Survey खतियान में दर्ज है। CSP 1620 का खतियानी रकबा 24 डी० अर्थात 0-5-10 है। वादी द्वारा CSP 1620 का रकबा 24 डी० पुश्तैनी मालिक से प्राप्त होने तथा CSP 1621 का रकबा 4 डी० खानदानी बंटवारा से प्राप्त होने के फलस्वरूप RSP 2661 रकबा 28 डी० उनके नाम खाता खुलने का आधार मानकर उनका अपना वाद पर अधिकार स्थापित होना बताया गया है।

वही RSP 2661 का रकबा 28 डि० में से कबाला की गई भूमि वादिनी ऐमुल कुमार बनाम जवाहर को बिक्री की गई भूमि 0-1-10 को घटाकर शेष भूमि 0-4-18 पर अपना दावा की सम्पुष्टि वादी के याचना का मूल आधार है।

वादी ऐमुल कुमार द्वारा जवाहर गवली फकीरा के नाम की गई भूमि बिक्री से संबंधित कबाला दिनांक 13.8.84 को सक्षम द्वितीय द्वारा Not Valid, genuine and for Consideration T.S No 3185 में घोषित किया जिसके विरुद्ध जवाहर मिया (गवली फकीर) द्वारा T.A. No 27/87 दायर किया जो स्थायी लोक अदालत द्वारा P.L.A 22/2002 / T.A. No 27/87 में दिनांक 1.4.2002 को मो० जवाहर मिया एवं निमाकत गवली फकीर के बीच समझौता पत्र के आधार पर निस्तारित हुआ। इस समझौता में वादी ऐमुल कुमार पक्षकार नहीं थे। फलतः वादी ने RSP 2661 से संबंधित Revisional Survey प्रविष्टि को finally concluded and adjudicated मानकर न्यायालय द्वारा 0-4-18 भूमि पर अपना अधिकार सम्पुष्टि का दावा करते हैं जबकि प्रतिवादी ने तकरारी भूमि से संबंधित स्थायी लोक अदालत द्वारा Compromise decree को finally Concluded & adjudicated proceeding मानकर इस वाद को खारिज करने का दावा करते हैं। PLA 22/2002 में इस वाद के वादी को defendant के रूप में delete करते हुए उल्लेखित है कि defendant का Right, title, Interest इस वाद में नहीं है।

Legal Service Authority Act 1987 की धारा 21(2) में उल्लेखित है कि "Every Award made by a Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any Court against the award"

साथ ही साथ यह उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि वादी द्वारा सम्पादित कबाला को भी सक्षम द्वारा वैध एवं वास्तविक नहीं माना गया है तो उसी तकरारी संपदा के आधार पर निर्मित RSP 2661 संबंधित रिविजनल सर्वे प्रविष्टि के आधार पर वादी के अधिकारों का प्राक्कलन उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनाओं के मद्देनजर किया जाना स्वत्व के जटिल प्रश्न को उपस्थित करता है जिसका निराकरण सिविल वाद द्वारा अपेक्षित है।

अतएव उपरोक्त विवेचना व निर्देश के साथ इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित व संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता